४X

29.10.24 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे फर्द बटवारा रिपोर्ट पर बहस सुनी गई, फर्द बटवारा अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर सैकम हो।

[signature]

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनरवी नरेश

वाद संख्या ::–35/2022

1– इन्द्राबाई पति मदनलाल बलाई निवासी खेडी(माल) तहसील बेगूं
वादीया

बनाम

1– कैलाश पिता मूलचंद रेगर निवासी तेजपुर तहसील बेगूं
2– केश्या पिता कालू रेगर निवासी तेजपुर तहसील बेगूं
3– केशर पुत्री लालू निवासी तेजपुर हा.मु. पति खामाजी रेगर निवासी माल तहसील बेगूं
4–नाना पिता कालू रेगर निवासी तेजपुर तहसील बेगूं
5–नानी पति देवी रेगर निवासी तेजपुर तहसील बेगूं
6– प्यारीबाई पुत्री मूलचंद रेगर निवासी नन्दवाई तहसील बेगूं
6– सुगनाबाई पिता कन्हैयालाल सुथार निवासी गोविन्दपुरा तहसील बेगूं
7– नन्दकिशोर पिता बरदाजी निवासी नन्दवाई तहसील बेगूं
8–नारायण पिता रूपाजी धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूं
9– प्रकाश पिता स्व.रामलाल धाकड़ निवासी रामपुरिया तहसील बेगूं
10– कैलाश पिता स्व.रामलाल धाकड़ निवासी रामपुरिया तहसील बेगूं
11– कमलेश पिता स्व.रामलाल धाकड़ निवासी रामपुरिया तहसील बेगूं
12– बालीबाई पत्नी स्व.बरदा धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूं
13–भेरूलाल पिता देवीलाल धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूं
14– भंवरलाल पिता प्यारजी धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूं
15– मोहनलाल पिता हजारी धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूं
16– शंभूलाल पिता देवीलाल धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूं
17– सुर्यराजसिंह पिता रणजीतसिंह राजपुत निवासी नन्दवाई तहसील बेगूं
18– हगामीबाई पति स्व.देवीलाल धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूं
19– श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नन्दवाई तहसील बेगूं
20–श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूं
21– श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चित्तौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री अशोक शर्मा
अधिवक्ता वादी
प्रतिवादीगण
अनुपस्थित

निर्णय दिनांक ::–29.10.24

निर्णय वाद अ0धा0 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार किया गया कि मौजा नन्दवाई प0ह0 नन्दवाइ तह0 बेगूं में वादीया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 से 18 तक की संयुक्त खातेदारी मे निम्नलिखित आराजीयात राजस्व रेकार्ड में अंकित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

खाता संख्या 56

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
57	0.0300
60	0.0200
63	0.0200
64	0.0900
65	0.0200
किता– 5 कुल रकबा	0.1800 हैक्टर

यह कि वादपत्र की कलम सं.1 में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजियात में वादीया का 1/18 हक–हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 तक का भी राजस्व जमाबंदी रेकार्ड में अंकितानुसार हक–हिस्सा निहित हाकर वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 तक अपने– अपने निहित हक हिस्सा अनुसार मोके पर आपसी तौर पर मौखिक बंटवाडा कर निरंतर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। और लगान भी अदा करते आ रहे है लेकिन मौके पर एवं राजस्व रिकार्ड में विधिवत विभाजन नही होने के करण वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य आए दिन फसल बोने व घास चारा काटते समय एवं लगान जमा कराते समय विवाद होता रहता है। जिसके स्थाई समाधान के लिए वादीया ने आपसी सहमति से तहसील

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौडगढ़)

...कर खाता विभाजन कराने के लिए प्रतिवादी संख्या एक को कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार ...देने सेयह वादपत्र वास्ते विभाजन घोषणा आराजी हेतु न्यायालय श्रीमान में पेश करने की आवश्यकता ...ई है।

यह की वाद कारण दिनांक 30.05.2022 को वादीया ने प्रतिवादीगण को आपसी से तहसील में चलकर भूमि का बंटवाडा करा खाता अलग अलग कराने के लिए काह तो प्रतिवादीगण द्वारा इंकार कर दिये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः न्यायालय श्रीमान श्रीमान से निवेदन है कि वादिया के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न अनुतोष की डिकी प्रदान कराई जावें।

(क) कि वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित मौजा तेजपुर प0ह0 खेडी तह0 बेगूं की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादीया का 1/18 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 तक का राजस्व जमाबंदी रेकार्ड में अंकितानुसार हक हिस्सा भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का मौके पर काबिजानुसार राजस्व रेकार्ड में विभाजन किए जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादिया के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादिगण प्रदान कराई जावे।

(ख) कि बाद विभाजन वादिया के निहित हक हिस्सा भूमि का खाता अलग रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति वादिया के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादिगण प्रदान कराई जावें।

वाद अ.धा. 53 राज0काश्त0अधि0 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया प्रतिवादी सं0 1 से लगायत 16 तक के सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा प्रतिवादी सं. 17, 18 फोरमल पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं होने से जवाब बन्द किया गया तत्पश्चात वकील वादी द्वारा वादिया के साश्य शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी सम्मत 2078–2078 प्रदर्श –2 नकल नक्शा ट्रेस पेश कर बयान कलमबद्ध कराये।

पत्रावली में वादी की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात वकील वादी एकतरफा बहस सूनी गयी जिन्होने वादपत्र अनुसार अपनी बहस में निवेदन करते हुए वाद पत्र स्वीकार कर दावा प्राथमिक डिकी जारी किये जाने का निवेदन किया है प्रकरण में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 में दर्ज अंकित आराजी मौजा तेजपुर प0ह0 खेडी की आ.सं. 57, 60, 63, 64मी कुल किता 5 कुल रकबा 0.1800 है0 भूमि में वादी इन्द्राबाई पति मदनलाल बलाई का 1/18 हक हिस्सा का विभाजन कराने के अधिकारी पायी जाती है।

अतः वाद वादिया का अ.धा. 53, 88 राज0काश्त0अधि0 का स्वीकार किया जााता है दावा प्राथमिक डिकी किये जाने की घोषणा कि जाती है। मौजा तेजपुर प0ह0 खेडी की आ.सं. 57, 60, 63, 64मी कुल किता 5 कुल रकबा 0.1800 है0 भूमि में वादी इन्द्राबाई पति मदनलाल बलाई का 1/18 हक हिस्सा अनुसार करते हुए आराजी का अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी के आधार पर काबिजानुसार भूमि का विभाजन मिट्स एण्ड बिउण्डस के आधार पर करने की घोषणा की जाती है। उक्त आराजी का विभाजन किए जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1500 रू कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त निर्णिय अनुसार प्राथमिक डिकी जारी कि जाती है। प्राथमिक डिकी की प्रति तहसीलदार बेगूँ को उक्त आराजियात के विभाजन किए जाने हेतू भिजवाई जावे।

उक्त प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र क्रमांक/4284 दिनांक 23.09.2024 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिकी किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिकी किया जाता है, मौजा हरीपुरा प.ह. दौलतपुरा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1– श्रीमति इन्द्राबाई पत्नी मदनलाल बलाई सा. खेडी खातेदार

आराजी संख्या	रकवा हैक्टर	लगान
65मीन मेसे	0.01	0.10
कीता– 02	0.01 हैक्टर	0.10

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

...श्या पिता कालु हिस्सा 3/34, नाना पिता कालु हिस्सा 3/34, नानी पत्नी देवी हिस्सा ...136, नानीबाई पत्नी देवीलाल हिस्सा 3/34, प्यारीबाई पत्नी मूलचन्द हिस्सा 2/85, ...मबाई पत्नी लादुलाल 1/17, बंशीलाल पिता देवी 3/136, लादुलाल पिता मूलचन्द 12/85, शंभूलाल पिता देवी 3/136, शंभूलाल पिता देवीलाल 3/17 श्यामलाल पिता शंभूलाल2/85, शान्तिबाई पत्नी मूलचन्द 2/85, सुगना पिता मूलचन्द 2/85, रेगर सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी अनुसार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
57	0.03	
60	0.02	0.37
63	0.02	0.28
64मी.	0.09	1.58
65मी. मेसे	0.01	0.09
कीता– 05	0.17 हैक्टर	2.32

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
(सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बैंगूं

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या :–35 / 2022

1– इन्द्रावाई पति मदनलाल बलाई निवासी खेडी(नाल) तहसील बेगूं
वादीगण

बनाम

1– कैलाश पिता मूलचंद रेगर निवासी तेजपुर तहसील बेगूं
2– केश्या पिता कालू रेगर निवासी तेजपुर तहसील बेगूं
3– केशर पुत्री लालू निवासी तेजपुर हा.मु. पति खानाजी रेगर निवासी नाल तहसील बेगूं
4–नाना पिता कालू रेगर निवासी तेजपुर तहसील बेगूं
5–नानी पति देवी रेगर निवासी तेजपुर तहसील बेगूं
6– प्यारीबाई पुत्री मूलचंद रेगर निवासी नन्दवाई तहसील बेगूं
6– सुगनाबाई पिता कन्हैयालाल सुथार निवासी गोविन्दपुरा तहसील बेगूं
7– नन्दकिशोर पिता बरदाजी निवासी नन्दवाई तहसील बेगूं
8–नारायण पिता रूपाजी धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूं
9– प्रकाश पिता स्व.रामलाल धाकड़ निवासी रामपुरिया तहसील बेगूं
10– कैलाश पिता स्व.रामलाल धाकड़ निवासी रामपुरिया तहसील बेगूं
11– कमलेश पिता स्व.रामलाल धाकड निवासी रामपुरिया तहसील बेगूं
12– बालीबाई पत्नी स्व.बरदा धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूं
13–भेरूलाल पिता देवीलाल धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूं
14– भंवरलाल पिता प्यारजी धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूं
15– मोहनलाल पिता हजारी धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूं
16– शंभूलाल पिता देवीलाल धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूं
17– सुर्यराजसिंह पिता रणजीतसिंह राजपुत निवासी नन्दवाई तहसील बेगूॅ
18– हगामीवाई पति स्व.देवीलाल धाकड़ निवासी नन्दवाई तहसील बेगूॅ
19– श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नन्दवाई तह0 बेगॅू
20–श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगॅू
21– श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चित्तौडगढ़
प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 53–88 राज0 काश्त0 अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा तथा प्रतिवादीगण की ओर से अनुपस्थित में इस वाद अ.धा. 53– 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 29.10.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूं के समक्ष अंतिम निर्णय के निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिकी किया जाता हैः–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिकी किया जाता है, मौजा हरीपुरा प.ह. दौलतपुरा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1– श्रीमति इन्द्राबाई पत्नी मदनलाल वलाई सा. खेडी खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
65मीन मेसे	0.01	0.10
कीता– 02	0.01 हैक्टर	0.10

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

केश्या पिता कालु हिस्सा 3/34, नाना पिता कालु हिस्सा 3/34, नानी पत्नी देवी हिस्सा 3/136, नानीबाई पत्नी देवीलाल हिस्सा 3/34, प्यारीबाई पत्नी मूलचन्द हिस्सा 2/85, प्रेमबाई पत्नी लादुलाल 1/17, बंशीलाल पिता देवी 3/136, लादुलाल पिता मूलचन्द 12/85, शंभूलाल पिता देवी 3/136, शंभूलाल पिता देवीलाल 3/17 श्यामलाल पिता शंभूलाल2/85, शान्तिबाई पत्नी मूलचन्द 2/85, सुगना पिता मूलचन्द 2/85, रेगर सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमांबन्दी अनुसार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
57	0.03	
60	0.02	0.37
63	0.02	0.28
64मी.	0.09	1.58
65मी. मेसे	0.01	0.09
कीता– 05	0.17 हैक्टर	2.32

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

क्रमांक/सरिश्ता/2024/ दिनांक :–

दावा संख्या 35/2022 व अनवान इन्द्राबाई बनाम कैलाश व अन्य अ.धा. 53–88 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)